पत्रांक–11/आ.2–आ.नी.–09/2006(अंश)का....1171../

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक 25 मार्च, 2010

विषय:– लोहारा/लोहरा (Lohara/Lohra) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है । बिहार अधिनियम 12, 1993 धारा–9(1) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे । उक्त अधिनियम की धारा–9(2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी ।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार द्वारा बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–9(1) के तहत निम्नांकित सलाह दी गयी है–

*बिहार में 'लोहार' (**Lohar**) जाति से भिन्न कुछ थोड़े लोग लोहारा/लोहरा (**Lohara/Lohra**) हैं, जो संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 से लेकर संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश संशोधन विधेयक, 2006 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज हैं, उनके आवेदन देने पर उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र निर्गत करने का निदेश दिया जाय।*

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के उपर्युक्त परामर्श के आलोक में निदेश है कि आवेदन देने पर लोहारा/लोहरा (Lohara/Lohra) जाति के सदस्यों को नियमानुसार जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाय । उक्त आशय की सूचना संबंधित जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को आवश्य देने का कष्ट करेंगे ।

विश्वासभाजन,

25/3/10

सरकार के उप सचिव ।

N.Comp./E:Dinar/S-11/Ansari/Lohar/Nasar